

**मांग संख्या 41**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद कमांक 1**

(1) राज्य शासन द्वारा गुदमा एवं माटवाड़ा विकास खण्ड भैरमगढ़ तथा बांसागुड़ा विकास खण्ड उमूर जिला दंतेवाड़ा में 100 सीटर संयुक्त आश्रम शालाएं खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार 24 पदों के निर्माण की आवश्यकता होगी -

कमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	अधीक्षक(उ.श्रे.शि.)	03 पद	रूपये 5000-8000
2.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3	06 पद	रूपये 2700-3700
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	09 पद	कलेक्टर दर पर
4.	चौकीदार	03 पद	कलेक्टर दर पर
5.	अंशकालीन स्वीपर	03 पद	कलेक्टर दर पर
	<b>कुल</b>	<b>24 पद</b>	

इन पदों के सृजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

(2) राज्य शासन द्वारा धौरादरहा विकास खण्ड बरमकेला जिला रायगढ़ में प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम का पूर्व माध्यमिक आश्रम शाला में उन्नयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार 7 पदों की निर्माण की आवश्यकता होगी -

कमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	प्रधान पाठक	01 पद	रूपये 5500-9000
2.	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	02 पद	रूपये 3250-4450
3.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3	02 पद	रूपये 2700-3700
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01 पद	कलेक्टर दर पर
5.	अंशकालीन स्वीपर	01 पद	कलेक्टर दर पर
	<b>कुल-</b>	<b>07 पद</b>	

इन पदों के सृजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु राशि रूपये 200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 2-3**

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कमांक 4**

राज्य शासन द्वारा ग्राम बोंदानार में बालक एवं ग्राम कुटरू जिला दंतेवाड़ा में कन्या छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार 8 पदों के निर्माण की आवश्यकता होगी -

कमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	अधीक्षक (सहा.शि.)	02 पद	4000-6000
2.	रसोईया	02 पद	कलेक्टर दर पर
3.	पानीवाला	02 पद	कलेक्टर दर पर
4.	चौकीदार	02 पद	कलेक्टर दर पर
	<b>कुल-</b>	<b>08 पद</b>	

-----

इन पदों के सृजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।  
मद क्रमांक 5

(1) राज्य शासन द्वारा पूर्व माध्यमिक शाला (कन्या) फरस गांव जिला बस्तर को हाई स्कूल उन्नयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार 11 पदों की निर्माण की आवश्यकता होगी -

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	प्राचार्य	01 पद	रूपये 6500-10500
2.	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	05 पद	रूपये 3250-4450
3.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3 (विज्ञान)	01 पद	रूपये 2700-3700
4.	सहायक ग्रेड-2	01 पद	रूपये 4000-6000
5.	सहायक ग्रेड-3	01 पद	रूपये 3050-4590
6.	भृत्य/चौकीदार	01 पद	कलेक्टर दर पर
7.	अंशकालीन स्वीपर	01 पद	कलेक्टर दर पर

कुल- 11 पद

इन पदों के सृजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

(2) राज्य शासन द्वारा पूर्व माध्यमिक शाला रनहत विकास खण्ड बलरामपुर जिला सरगुजा को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार 11 पदों की निर्माण की आवश्यकता होगी -

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	प्राचार्य	01 पद	रूपये 6500-10500
2.	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	05 पद	रूपये 3250-4450
3.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3 (विज्ञान)	01 पद	रूपये 2700-3700
4.	सहायक ग्रेड-2	01 पद	रूपये 4000-6000
5.	सहायक ग्रेड-3	01 पद	रूपये 3050-4590
6.	भृत्य/चौकीदार	01 पद	कलेक्टर दर पर
7.	अंशकालीन स्वीपर	01 पद	कलेक्टर दर पर

कुल- 11 पद

इन पदों के सृजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु राशि रूपये 200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जन जाति वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 140.79 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,40,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 7**

राज्य शासन द्वारा कन्या हाई स्कूल प्रेमनगर विकास खण्ड प्रेमनगर जिला सरगुजा को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार 15 पदों की निर्माण की आवश्यकता होगी -

<b>क्रमांक</b>	<b>पदनाम</b>	<b>पद संख्या</b>	<b>वेतनमान</b>
1.	प्राचार्य	01 पद	रूपये 8000-13500
2.	शिक्षा कर्मी वर्ग-1	08 पद	रूपये 3900-5400
3.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3 (विज्ञान)	01 पद	रूपये 2700-3700
4.	प्रयोग शाला परिचारक	01 पद	रूपये 2750-4400
5.	लेखापाल	01 पद	रूपये 4000-6000
6.	भृत्य	02 पद	कलेक्टर दर पर
7.	स्वीपर (अंशकालीन)	01 पद	कलेक्टर दर पर

**कुल 15 पद**

इन पदों के सृजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 8**

लखनपुर के स्थान पर देवभोग में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु रूपये 9.60 का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है।

**मुख्य शीर्ष 2205**

### **मद क्रमांक 9**

राज्य शासन द्वारा मुक्ताकाश संग्रहालय के लिए आदिवासी शिल्पियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का कल्य एवं प्रदर्शनी हेतु रूपये 50.00 लाख का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में करने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2210**

### **मद क्रमांक 10 से 16**

ग्राम-सरायपाली विकास खंड तमनार जिला-रायगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु पदों के सृजन, भोजन एवं औषधि, बिजली पानी/स्टेशनरी एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु आवर्ती व्यय रूपये 13.58 लाख तथा अनावर्ती व्यय रूपये 5.00 लाख कुल रूपये 18.58 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

<b>क्रमांक</b>	<b>पदनाम</b>	<b>पदसंख्या</b>	<b>वेतनमान</b>
1.	चिकित्सा अधिकारी	02	8000-13500
2.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	01	3050-4590
3.	लेब टेक्नीशियन	01	4000-6000
4.	ड्रेसर	01	3050-4590
5.	नेत्र सहायक	01	4000-6000
6.	एम.पी.डब्ल्यू. महिला	01	3050-4590
7.	स्वीपर	01	2550-3200

8.	आया	01	2550-3200
9.	भृत्य/वार्ड ब्वाय	01	2550-3200
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 18,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।			

#### **मद क्रमांक 17,18,20,22,24**

भारत सरकार द्वारा आयुष विभाग के एसेन्शियल ड्रग प्रदाय योजना अंतर्गत रूपये 56.00 लाख स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 19,21,23**

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यो. के अंतर्गत कार्यालय एवं फर्नीचर व्यय के विभिन्न मदों में रूपये 65.00 लाख की आवश्यकता है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 300 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2215**

#### **मद क्रमांक 25**

राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत जशपुर जल प्रदाय योजना के लागत में वृद्धि के फलस्वरूप योजना को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान का निर्णय लिया गया है । अतिरिक्त राशि की व्यवस्था 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण से किया जाना है । इस वर्ष इस योजना पर अनुदान के रूप में रूपये 5.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 26**

राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत सूरजपुर जल प्रदाय योजना के लागत में वृद्धि के फलस्वरूप योजना को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान का निर्णय लिया गया है । अतिरिक्त राशि की व्यवस्था 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण से किया जाना है । इस वर्ष इस योजना पर अनुदान के रूप में रूपये 5.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 27**

राज्य शासन द्वारा दंतेवाडा जल प्रदाय योजना की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप योजनाओं को पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त राशि के प्रावधान का निर्णय लिया गया है । अतिरिक्त राशि की व्यवस्था 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण से किया जाना है । इस वर्ष इस योजना पर अनुदान के रूप में रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 28**

राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत रामानुजगंज जल प्रदाय योजना के लागत में वृद्धि के फलस्वरूप योजना को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान का निर्णय लिया गया है । अतिरिक्त राशि की व्यवस्था 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण से किया जाना है । इस वर्ष इस योजना पर अनुदान के रूप में रूपये 5.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 29**

राज्य शासन द्वारा बाह्य अम्बिकापुर जल प्रदाय योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । राशि की व्यवस्था 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण से किया जाना है । इस वर्ष इस योजना पर अनुदान के रूप में रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 30

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये 2 नवीन वाहन क्रय किया जाना है। इस हेतु राशि रूपये 6.29 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 31 से 38

1. अंतागढ़ एवं प्रेमनगर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना हेतु वेतन भत्तों आदि के लिए रूपये 50.65 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्राचार्य वर्ग-2	8000-13500	1
2.	प्रशिक्षण अधीक्षक	5500-9000	3
3.	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-1 (स्टेनोग्राफी)	5000-8000	2
4.	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-2	5000-8000	8
5.	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-3	4500-7000	11
6.	सहायक वर्ग-1	4500-7000	1
7.	सहायक वर्ग-2	4000-6000	4
8.	सहायक वर्ग-3	3050-4590	4
9.	कम्पाउंडर	3050-4590	1
10.	ड्रेसर	2750-3900	2
11.	कर्मशाला सहायक	2610-3540	4
12.	चतुर्थ श्रेणी (भूत्य, चौकीदार, माली, स्वीपर)	2550-3200	9
			-----
			योग 50
			-----

2. आई.टी.आई. डॉडीलोहारा में दो नवीन व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु वेतन भत्तों आदि के लिए रूपये 15.92 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्रशिक्षण अधि.वर्ग-2	5000-8000	2
2.	प्रशिक्षण अधि.वर्ग-3	4500-7000	2
3.	भूत्य/चौकीदार/स्वीपर	2550-3200	1
4.	कर्मशाला सहायक	2610-3540	1
			----

## योग 6 पद

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 66,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2401

### मद क्रमांक 39

प्रदेश में ग्रामोत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत धान एवं अन्य खाद्यान्त दलहन, तिलहन फसलों के उन्नत प्रमाणित बीज कृषकों को सस्ते दर पर प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 24.32 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 24,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 40**

अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्र में इस वर्ग के हितग्राहियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 41 से 42**

भारत सरकार द्वारा लघु और सीमान्त कृषकों को सिचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं छिप सिचाई योजना अन्तर्गत 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है इस योजना में 30 प्रतिशत अनुदान राशि राज्य शासन द्वारा तथा शेष हितग्राहियों द्वारा दी जावेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्यांश राशि के लिए राशि रूपये 2.00 करोड़ संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मुख्य शीर्ष 2403**

#### **मद क्रमांक 43**

राज्य के आदिवासी विकास खण्डों में बैल जोड़ी देने की योजना के अंतर्गत राशि रूपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मुख्य शीर्ष 2406**

#### **मद क्रमांक 44 से 53**

राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से पर्यावरण विकास हेतु सहायता प्राप्त योजना अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का विकास शामिल करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतवास के सुधार कार्य, आधारभूत संरचना के कार्य, ग्राम विकास के कार्य, परिस्थितिकीय विकास के कार्य एवं नैसर्गिक पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कार्य किये जायेंगे। इस पर रूपये 126.82 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,26,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मुख्य शीर्ष 4202**

#### **मद क्रमांक 54**

(1) राज्य शासन द्वारा ग्राम गोटाटोला जिला राजनांदगांव में 40 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास एवं ग्रम जांगांव जिला कांकेर में 20 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों छात्रावासों के निर्माण पर रूपये 53.36 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। इस हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

(2) राज्य शासन द्वारा राजधानी रायपुर में 500 सीटर महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास के भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस पर रूपये 360.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। इस हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु राशि रूपये 300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 55**

(1) राज्य शासन द्वारा हायर सेकंडरी स्कूल छिंदगढ़ जिला दंतेवाड़ा एवं हायर सेकंडरी स्कूल माकड़ी जिला बस्तर में अतिरिक्त कमरा निर्माण का निर्णय लिया गया है। उक्त दोनों कार्यों पर रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। इस हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

(2) राज्य शासन द्वारा हाई स्कूल पुरी जिला कांकेर एवं हाई स्कूल कासोली (आकाशनगर) जिला दंतेवाड़ा में हाई स्कूल भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस पर रूपये 64.50 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। इस हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### मद क्रमांक 56

नारायणपुर(बस्तर) में रामकृष्ण मिशन द्वारा आई.टी.आई. स्थापित करने हेतु अनुदान के लिए रूपये 120.35 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,20,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### मद क्रमांक 57

1. अंतागढ़ एवं प्रेमनगर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना हेतु मशीन उपकरण क्रय के लिए रूपये 155.00 लाख का व्यय संभावित है ।

2. आई.टी.आई. डॉडीलोहारा में दो अतिरिक्त व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु मशीन उपकरण क्रय हेतु रूपये 24.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,79,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### मद क्रमांक 58

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु रूपये 153.94 लाख का व्यय संभावित है यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 4210**

#### मद क्रमांक 59

राज्य शासन के निर्णय अनुसार जगदलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भवन निर्माण हेतु रूपये 93.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4215**

#### मद क्रमांक 60

जिला राजनांदगांव हेतु एक कार्बीनेशन रिंग क्रय करने हेतु रूपये 110.00 लाख का व्यय संभावित है । यह नवीन व्यय का मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4225**

#### मद क्रमांक 61

भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य को मिलने वाले अनुदान हेतु बजट प्रावधान के अतिरिक्त रूपये 1135.46 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,35,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4235**

#### मद क्रमांक 62

राज्य शासन द्वारा जिला सरगुजा में नारी निकेतन भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राशि रूपये 97.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 97,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 63 से 64

राज्य शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में समाज कल्याण संस्थाओं का भवन निर्माण हेतु रूपये 59.30 लाख का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु रूपये 29.65 लाख केन्द्र शासन से प्राप्त होगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 59,30,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 65

राज्य शासन ब्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत निम्नलिखित नहरों के लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान की आवश्यकता है।

- (1) खरखरा फीडर नहर की लाइनिंग (अनु.लागत 22.00 करोड़) हेतु 5.00 करोड़ (यह मद परिवर्तन है)
- (2) खरखरा बांयी तट नहर की लाइनिंग (अनु. लागत 8.77 करोड़) जिस हेतु रूपये 1.00 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।